ग्राम पंचायत खज्जियार, विकास खण्ड चम्बा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 04/2021 से 03/2023

भाग-एक

1 **प्रस्तावना**

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफ़ारिशों के फ़लस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम-1994 की धारा 118 में होने व संयुक्त निदेशक एवं उप-सचिव पंचायती राज विभाग के संशोधन पत्र संख्या पीसीएच-एचसी(5)-सी(15)एलएडी/2006-12669 दिनांक-07-04-2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत खज्जियार, विकास खण्ड चम्बा, जिला चम्बा के अवधि 04/2021 से 03/2023 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि 01-04-2021 से 31-03-2023 तक के दौरान ग्राम पंचायत खज्जियार में निम्नलिखित प्रधान, सचिव एवं अन्य कर्मचारी कार्यरत रहे हैं।

प्रधान

क्रम संख्या	**पदाधिकारी का नाम**	**अवधि**
1.	श्री देस राज	01-04-2021 से 31-03-2023

सचिव

क्रम संख्या	**सचिव का नाम**	**अवधि**
1.	श्री सुनील कुमार	01-04-2021 से 31-03-2023

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार

ग्राम पंचायत खज्जियार, विकास खण्ड चम्बा, जिला चम्बा के अवधि 04/2021 से 03/2023 के लेखाओं के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है, जोकि उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ आगामी आवश्यक कार्रवाई हेतु विशेष रूप से लाई जाती है।

क्र० सं०	पैरा सं०	गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (₹ लाखों में)
01.	7.1 - 7.3	पंचायत राजस्व गृहकर,मोबाइल टावर फीस, दुकानों का किराया एवं विवाह पंजीकरण शुल्क इत्यादि का वसूली/जमा न किये जाने बारे।	0.54
02.	8.2	बिना M (XY) फॉर्म के क्रय करने से सरकारी राजकोष को रॉयल्टी के तौर पर राजस्व की वित्तीय हानि बारे।	1.42
03.	8.3	प्रॉपर/टैक्स बिलों पर भुगतान न करने के कारण सरकारी राजकोष को वस्तु एवं सेवाकर (GST) की सम्भावित वित्तीय हानि।	0.86
04.	8.4	निर्माण कार्यों से सम्बंधित स्वीकृति/कार्य आदेश, प्राक्कलन, मापन पुस्तिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करने बारे।	10.90
05.	9.3	एकीकृत वाटरशेड विकास कार्यक्रम (IWMP) के रिवालविंग फंड (परिक्रमा निधि) के तहत जारी ऋण राशि की वसूली न करने बारे।	1.50
06.	9.4	एकीकृत वाटरशेड विकास कार्यक्रम (IWMP) के अंतर्गत लाभार्थी शेयर की अपेक्षित कटौती किये बिना ही व्यक्तिगत कार्यों का निष्पादन।	0.39
07.	9.6	पंचायत प्रधान के एकल हस्ताक्षर द्वारा ही अनियमित भुगतान करने बारे।	2.23

भाग- दो

2 वर्तमान अंकेक्षण

ग्राम पंचायत खज्जियार, विकास खण्ड चम्बा, जिला चम्बा के अवधि 01/04/2021 से 31/03/2023 के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री पवन कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 29-02-2024 से 06-03-2024 तक ग्राम पंचायत खज्जियार के कार्यालय में किया गया। वर्तमान निधि लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए निम्न मासों का चयन किया गया जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

क्रम संख्या	वित्तीय वर्ष	आय चयनित माह	व्यय चयनित माह
1.	2021-2022	10/2021	09/2021
2.	2022-2023	07/2022	05/2022

अस्वीकरण:- वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियंत्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क

ग्राम पंचायत खज्जियार, विकास खण्ड चम्बा, जिला चम्बा के अवधि 01/04/2021 से 31/03/2023 तक के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु शुल्क ₹4800/- आँका गया है। अंकेक्षण शुल्क की उक्त राशि को राजकीय कोष में जमा करवाने हेतु इसे रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला-09 को भेजने हेतु पंचायत सचिव से अंकेक्षण अधियाचना संख्या SAD/CBA/2024/83 दिनांक 06-03-2024 द्वारा अनुरोध किया गया।

4 वित्तीय स्थिति

ग्राम पंचायत खज्जियार द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01/04/2021 से 31/03/2023 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थी :-

(क) स्व:-स्त्रोत व अनुदान

ग्राम पंचायत खज्जियार के अवधि 04/2021 से 03/2023 तक स्व-स्त्रोतों व अनुदान की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट-1 व 2** में भी दिया गया है: -

(i) स्व:-स्रोत (3^RD/5^TH State FC)

वित्तीय वर्ष	अथ शेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अंतिम शेष
2021-22	**3222858.17**	**407506.00**	**3630364.17**	**477931.00**	**3152433.17**
2022-23	**3152433.17**	**621850.00**	**3774283.17**	**934916.00**	**2839367.17**

(ii) अनुदान

वित्तीय वर्ष	अथ शेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अंतिम शेष
2021-22	1641318.00	7475039.00	9116357.00	7500779.44	1615577.56
2022-23	1615577.56	3459935.76	5075513.32	4089747.32	985766.00

नोट: उपरोक्त स्वः-स्त्रोत के अंतर्गत अन्य अनुदान जैसे 3rd/5th स्टेट का पंचायत द्वारा एक बैंक खाता व एक ही रोकड़ बही में संधारण किया जा रहा है। (कृपया पूर्ण विवरण पैरा संख्या 10.3 पर देखें) जिससे कि उक्त स्वः-स्त्रोत की वास्तविक राशि को पृथक तौर पर नहीं दर्शाया जा सकता है।

कुल योग (1 + 2) ₹2839367.17 + ₹985766.00 = ₹3825133.17

(ब) ग्राम पंचायत खज्जियार, विकास खण्ड चम्बा, जिला चम्बा (हि०प्र०)

दिनांक 31/03/2023 को बैंक खातों में अन्तशेष का विवरण

क्र० स०	अनुदान का नाम	खाता संख्या	बैंक का नाम 31-03-2023	राशि 31-03-2023
1.	15वां वित्तायोग	50100312829264	HDFC CHAMBA	**766772.12**
2.	PMGAY	17910122691	HPSCB Chamba	**145149**
3.	AAY	99228100052208	HPGB OBRI	**2268**
4.	IAY	99221302200788	HPGB OBRI	**11352**
5.	VBKKY/VKVNY/SDP	99228100052212	HPGB OBRI	**18826**
6.	Sabha Nidhi/ 3rd State/SCSP	17910107009	HPSCB Chamba	**2288133.17**
			Cash in hand	**886**
			TOTAL	**₹3233386.29**

अन्तर (क-ख) ₹3825133.17 - ₹3233386.29 = ₹591746.88

5.1 बैंक समाधान विवरणी तैयार न करने के कारण रोकड़ बहियों व बैंक खातों के अन्तशेष में राशि ₹5.92 लाख का अन्तर :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत खज्जियार द्वारा हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम **7(3) व 10(1)** की अनुपालना में मासिक आधार पर बैंक समाधान विवरणी तैयार नहीं की है। जिस कारण वर्तमान अंकेक्षण अवधि के अंत में दिनांक 31-03-2023 को रोकड़ बही तथा बैंक खातों के अन्तशेष में राशि ₹591746.88 का अन्तर बैंकपास बुक में कम शेष के रूप में है। जिसका विस्तृत ब्यौरा पैरा संख्या 4 में दिया गया है।

इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या-80 दिनाँक 05-03-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि भविष्य में बैंक समाधान विवरणी मासिक आधार पर तैयार की जाएगी एवं वर्तमान अंतर का मिलान करके लेखा परीक्षा को अवगत करवा दिया जायेगा।

अतः भविष्य में नियमानुसार प्रत्येक माह बैंक समाधान विवरणी तैयार करके बैंक एवं रोकड़ बही का मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाये तथा वर्तमान में अन्तर का अति शीघ्र मिलान भी किया जाये तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

5.2 अकुशल वित्तीय प्रबंधन के कारण अतिरिक्त ब्याज की आय से वंचित होना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त एवं बजट, लेखे सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के **<u>नियम 11</u>** के अनुसार प्रत्येक पंचायत द्वारा स्वः-स्त्रोत में उपलब्ध अतिरिक्त निधियों को पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव उपरान्त राष्ट्रीयकृत बैंक सहकारी बैंक अथवा सरकारी प्रतिभूतियों में इस प्रकार से निवेशित किया जाना अपेक्षित है। ताकि इन पर अधिकतम ब्याज अर्जित किया जा सके।

परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा इस नियम की अनुपालना नहीं की गई तथा अंकेक्षण अवधि के दौरान कोई निवेश नहीं किया गया था। जबकि वित्तीय स्थिति के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पंचायत के पास प्रतिवर्ष निधि (स्वः-स्त्रोत) में अतिरिक्त शेष उपलब्ध था। इस चूक के कारण संसाधनों की कमी से जूझ रही पंचायत को अतिरिक्त ब्याज के रूप में होने वाले लाभ से वंचित होना पड़ा है।

इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 80 दिनांक 05-03-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि, भविष्य में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत

अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा। अत: भविष्य में नियमानुसार कार्रवाई करना सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

6.1 विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों की राशि ₹9.86 लाख का अवरोधन:-

पंचायत द्वारा **परिशिष्ट 1 व 2** पर अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनाँक 31-03-2023 तक अनुदान से प्राप्त अनुदान राशियों में से ₹985766 की राशि (रोकड़ बही के अनुसार) उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था। जबकि पंचायत द्वारा अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ-साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा है। यह अनियमितता सम्बंधित पंचायत के कर्मचारियों व पंचायत प्रतिनिधियों के अकुशल वित्तीय प्रबन्धन को भी इंगित करता है।

इस राशि के उपयोग/व्यय न करने बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या-80 दिनाँक 05-03-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त स्पष्ट किया कि, भविष्य में प्राप्त अनुदान को समय पर खर्च किया जायेगा।

अत: अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाये एवं कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

6.2 अनुदानों के आदेशों की प्रति/पत्र अंकेक्षण में जांच हेतु उपलब्ध न करवाने बारे :-

ग्राम पंचायत खज्जियार द्वारा अंकेक्षण अवधि में प्राप्त किये गए अनुदानों के स्वीकृति पत्रों की प्रतियाँ अंकेक्षण में सत्यापन हेतु उपलब्ध नहीं करवाई गई जिसके अभाव में यह ज्ञात नहीं हो सका कि, पंचायत द्वारा प्राप्त अनुदान किस उदेश्य/कार्य विशेष हेतु प्राप्त किये गए हैं।

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 80 दिनाँक 05-03-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया कि, पंचायत को अनुदान आदेशों की प्रति/पत्र प्राप्त नहीं हुए तथा खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय द्वारा राशि प्राप्त होने के उपरान्त मौखिक रूप से अनुदान के प्रयोजन बारे सूचित किया जाता है। यह अनुचित प्रक्रिया है क्योंकि लिखित रूप में अनुदान का

प्रयोजन प्राप्त न होने के कारण अनुदानों के दुर्विनियोजन की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता है। अतः उक्त प्रकरण को विशेष रूप से उच्चाधिकारियों के ध्यान में लाया जाता है।

7.1 पंचायत राजस्व, गृहकर की बकाया राशि ₹0.31 लाख की वसूली न करने बारे :-

हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 33 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार ग्राम पंचायत सचिव का दायित्व है कि, समस्त राजस्व को नियमित व अविलम्ब रूप से वसूलने व सम्बन्धित ग्राम पंचायत के खातों में समय पर जमा करवाना सुनिश्चित करें तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 114 में प्रावधान है कि कोई व्यक्ति किसी कर, शुल्क, दर राशि का भुगतान नहीं करता तो वह जुर्माने के साथ दण्ड का भागीदार होगा।

ग्राम पंचायत खज्जियार के अंकेक्षण में पाया गया कि, पंचायत सचिव द्वारा सम्पति कर (गृहकर) रजिस्टर को संधारित नहीं किया गया था। जिस कारण सम्पति कर की वार्षिक मांग व गत बकाया बारे पुष्टि नहीं हो सकी। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत द्वारा धारा 114 के अनुरूप गृहकर का समय पर भुगतान न करने के लिए चूककर्ताओं पर दण्ड लगाने हेतु भी कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। पंचायत द्वारा पंजीकृत परिवारों के आधार पर उपलब्ध करवाए गए अभिलेख के अनुसार निम्नलिखित ₹30770/- की राशि वसूली हेतु शेष थी।

वितीय वर्ष	अथशेष	पंजीकृत परिवारों की संख्या	दर प्रति /परिवार	वर्ष के दौरान माँग	कुल योग	वर्ष के दौरान वसूली	वसूली हेतु शेष राशि
2021-22	38270	370	25/-	9250	47520	0	47520
2022-23	47520	370	25/-	9250	56770	26000	30770

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 82 दिनांक 05-03-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा तथ्यों व आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त सूचित किया गया कि, पंचायत राजस्व की वसूली समय पर की जाएगी। उत्तर ग्राम पंचायत द्वारा अप्रभावी निगरानी का द्योतक है जिसके परिणाम स्वरूप राजस्व का गैर संग्रहण/हानि हो सकती है। अतः सम्पति/गृहकर की बकाया राशि की शीघ्रातिशीघ्र वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

7.2 विवाह पंजीकरण शुल्क की प्राप्त राशि को सरकारी राजकोष में जमा न करवाने बारे :-

हिमाचल प्रदेश विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1996 की धारा 22 एवं हि०प्र० सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण विभाग की अधिसूचना संख्या WLF-A(3)-1/97, दिनाँक 17-12-2004 व SJE-A-A(3)-1/2015 दिनाँक 04-10-2016 एवं पंचायती राज विभाग द्वारा जारी पत्र संख्या PCH-HA(1)8/2013-Marriage-8107-10 दिनाँक 28-10-2016 के अनुसार विवाह पंजीकरण का सामान्य श्रेणी हेतु पंजीकरण की धारा 8(1) के प्रावधानों के तहत ₹200 (30 दिन के अंदर) व BPL/IRDP से राशि ₹25 (30 दिन के अंदर) की वसूली की जानी अपेक्षित थी एवं वसूली गई फीस को सरकारी राजकोष के प्राप्ति शीर्षक खाता संख्या "0235-00-800-03" में विवाह रजिस्ट्रार द्वारा जमा की जानी अपेक्षित है।

अभिलेखों के नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि, उक्त पंचायत सचिव द्वारा निम्न विवरणानुसार विवाह पंजीकरण शुल्क के तौर पर वसूली गई राशि ₹2125/- को सरकारी राजकोष में जमा नहीं करवाया गया था अपितु इसे पंचायत के सभा निधि के बैंक खाते में रखा गया है जोकि उक्त नियमानुसार अनुचित है।

वित्तीय वर्ष	कुल पंजीकृत विवाह	APL/Rate		राशि	BPL/Rate		राशि	कुल राशि सामान्य व BPL
		Without late fee	With Late Fee		Without late fee	With Late Fee		
2021-22	11	3@200	1@400	1000	6@25	1@50	200	1200
2022-23	7	0	2@400	800	5@25	0	125	925
कुल योग	**18**	**3@200**	**3@400**	**₹1800**	**11@25**	**1@50**	**₹325**	**₹2125**

इस सम्बन्ध में जारी अधियाचना संख्या-82 दिनाँक 05-03-2024 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों की पुष्टि उपरान्त कहा गया कि, विवाह पंजीकरण शुल्क की वसूली उपरान्त उसे शीघ्र ही सरकारी राजकोष में जमा करवा दिया जायेगा।

अतः उपरोक्त राशि की उचित स्त्रोत से वसूली करने उपरान्त सम्बन्धित खाते/कोष में जमा करवाई जानी सुनिश्चित की जाये तथा गत वर्षों में इस प्रकार से सरकारी राजकोष में जमा नहीं करवाई गई राशि को भी जमा करवाना सुनिश्चित किया जाये। भविष्य में इस प्रकार की गलती की पुनरावृत्ति न की जाये तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

7.3 पंचायत राजस्व, दुकानों का किराया राशि ₹0.22 लाख की वसूली न करने बारे:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म,कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के **नियम 33** में प्रावधान है कि, ग्राम पंचायत का सचिव देखेगा कि, समस्त राजस्व सही ढंग से व अबिलम्ब तथा नियमित रूप से निर्धारित,वसूल व सम्बधित ग्राम पंचायत के खातों में जमा करवाया गया है ।

ग्राम पंचायत खज्जियार के अंकेक्षण में पाया गया कि, ग्राम पंचायत द्वारा दस दुकानें किराये पर दी थी। इनमें सभी दुकानों का किराया नियमित रूप से वसूल नहीं किया जा रहा था, तथा दिनाँक 31-03-2023 तक निम्न विवरणानुसार कुल राशि ₹21500/- वसूली हेतु शेष है । इसका पूर्ण विवरण संलग्न **परिशिष्ट "5"** में दिया गया है ।

वितीय वर्ष	अथशेष	दुकानों की संख्या	दर प्रति /दुकान	वर्ष के दौरान माँग	कुल योग	वर्ष के दौरान वसूली	वसूली हेतु शेष बकाया
2021-22	26400	10	200/ 500	40800	67200	19900	47300
2022-23	47300	10	500	60000	107300	85800	21500

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 84 दिनांक 06-03-2024 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों व आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त सूचित किया कि, दुकानों के किराये की वसूली समय पर की जाएगी। उत्तर ग्राम पंचायत द्वारा अप्रभावी निगरानी का द्योतक है जिसके परिणाम स्वरूप राजस्व का गैर संग्रहण/हानि होने के साथ-साथ किसी वैधानिक कठिनाई का सामना भी करना पड़ सकता है । अतः दुकान किराया की बकाया राशि की शीघ्रातिशीघ्र वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

7.4 पंचायत द्वारा किराये पर अनाधिकृत तौर से आबंटित दुकानों के सम्बन्ध में पाई गई विविध अनियमितताओं बारे :-

हि०प्र० पंचायती राज विभाग के कार्यालय आदेश संख्या पीसीएच-एचसी (7)10/30-3031-30436 दिनाक 07-09-2008 द्वारा ग्राम पंचायत के व्यावसायिक परिसरों/भवनों को किराये पर देने हेतु समबन्धित उपमंडलाधिकारी/तहसीलदार की अध्यक्षता में कमेटी गठित की

जानी आवशयक है ताकि भविष्य में किसी प्रकार के किसी क़ानूनी विवाद से बचा जा सके एवं कोई वैधानिक कठिनाई न हो।

ग्राम पंचायत खज्जियार द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार पंचायत के पास कुल दस दुकानें हैं जोकि किरायेदारों को उक्त आदेशों की अनुपालना किये बिना ही अनिधिकृत तौर पर आवंटित की गई थी एवं इन के सम्बन्ध में न कोई अभिलेख तैयार किये गए थे एवं न ही निम्न वर्णित सरकारी नियमों, आदेशों, अनुदेशों एवं शर्तों इत्यादि की अनुपालना की गई है।

1. किसी भी किरायेदार के साथ (दुकान का) का अनुबंध नहीं किया गया है।

2.अधिकतर दुकानों का किराया समय पर प्राप्त नहीं हो रहा है एवं इससे सम्बन्धित अभिलेखों/रजिस्टरों/ खाताबही को तैयार नहीं किया जा रहा है जिससे बकाया राशि, मांग इत्यादि को सत्यापित नहीं किया जा सका।

3. दुकानों के किराये का निर्धारण लोक निर्माण द्वारा निर्धारित न्यूनतम दरों के अनुसार नहीं किया गया है एवं किराये में वृद्धि का प्रावधान भी **किराया नियंत्रण अधिनियम 1987** के अनुरूप नहीं किया गया है।

4. पंचायत की सम्पति (दुकानों इत्यादि) को सरकारी दिशा-निर्देशों अनुसार किराये पर देने हेतु किसी भी कमेटी का गठन नहीं किया गया है।

5. पंचायत द्वारा दुकानों का किराया नियमित तौर से नहीं वसूला जा रहा है एवं अंकेक्षण अवधि के अंत तक कुल राशि ₹21500 वसूली हेतु शेष थी।

इस गंभीर अनियमितता के सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 84 दिनांक 06-03-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव, द्वारा तथ्यों व आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त सूचित किया कि, किराये पर आवंटित दुकानों के सम्बन्ध में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। यह एक गंभीर अनियमितता है जोकि उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ विशेष तौर से लाई जाती है। इससे राजस्व का गैर संग्रहण/हानि होने के साथ-साथ किसी वैधानिक कठिनाई का सामना भी करना पड़ सकता है। अतः इस सम्बन्ध में शीघ्र ही नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जानी सुनिश्चित की जाये एवं कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को अवगत करवाया जाये।

8.1 राष्ट्रीय सम्पति निर्देशिका में पंचायत द्वारा सभी चल-अचल सम्पतियों को दर्ज न करना :-

पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वाधान में वर्ष 2010-11 में पंचायत मिशन प्रोजेक्ट प्रारम्भ की गई थी। इस योजना के अंतर्गत विभिन्न एप्लिकेशन्स हैं जिनसे पंचायत की

दैनिक कार्रवाई जैसे कि, पंचायत द्वारा की गई सेवाओं, सामान के खरीद, भुगतान एवं पंचायत की सभी चल-अचल सम्पतियों का (उनके वास्तविक मूल्य पर) इन्द्राज करना अनिवार्य है।

ग्राम पंचायत खज्जियार के नमूना अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा राष्ट्रीय सम्पति निर्देशिका में पंचायत द्वारा अर्जित सभी चल-अचल सम्पतियों एवं किये गए कार्यों को इन्द्राज/दर्ज नहीं किया गया था। जबकि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि तक कई कार्यों को पूर्ण किया गया था। लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा कोई भी कार्य उक्त एप्लीकेशन में नहीं किया जा रहा है जोकि पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की पूर्णतया अवहेलना है।

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 80 दिनांक 05-03-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया कि, पंचायत की सभी चल-अचल सम्पतियों का इन्द्राज राष्ट्रीय सम्पति निर्देशिका एप्लीकेशन में कर दिया जायेगा। अतः अंकेक्षण को दिये आश्वासनुसार तथा कृत सुधारात्मक कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8.2 ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं से बिना M-फॉर्म के अनुचित क्रय करने से सरकार को रॉयल्टी के तौर पर राशि ₹1.43 लाख के राजस्व की वित्तीय हानि :-

हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल्स (कन्सेशन) एवं मिनरल्स (प्रिवेंशन ऑफ इलीगल माइनिंग ट्रान्सपोटेशन एन्ड स्टोरेज) नियमावली 2015 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार विकास/निर्माण कार्यों पर उपयोग की जाने वाली सामाग्री के लिए ठेकेदार/आपूतिकर्ता को खनन विभाग से अन्नापति प्रमाण पत्र/M-फॉर्म प्राप्त कर सम्बंधित पंचायत को देना अनिवार्य है। इसके अत्तिरिक्त उद्योग विभाग चंबा के पत्र संख्या 902 दिनांक 18-02-2022 के अंतर्गत समस्त विकास खंड कार्यालयों को संशोधित मूल्य अनुसार रॉयल्टी के सम्बन्ध में आदेश जारी किये गए थे।

परन्तु ग्राम पंचायत खज्जियार, विकास खण्ड चम्बा, जिला चम्बा की अंकेक्षण अवधि 04/2021 से 03/2023 के अभिलेखों के नमूना अंकेक्षण एवं पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के आधार पर पाया गया कि पंचायत द्वारा उक्त नियमों एवं आदेशों की पूर्णत: अवहेलना की जा रही है। पंचायत द्वारा ठेकेदारों से अन्नापति प्रमाण पत्र/M-फॉर्म लिए बिना ही रेत,बजरी व पत्थर इत्यादि की आपूर्ति ली गई है। जिससे कि, न केवल अवैध खनन हुआ अपितु अनधिकृत आपूर्तिकर्ताओं से क्रय करने के कारण सरकार को राशि ₹143087/- (जिसका पूर्ण विवरण संलग्न परिशिष्ट "4" में दिया गया है।) की रॉयल्टी की वित्तीय हानि भी हुई है। इसके अतिरिक्त उद्योग विभाग के पत्र संख्या Ind-II(F)6-14/2014-Vol-1 दिनांक 10-02-2022 के अंतर्गत

नियम 81A की प्रविष्टि के तहत खनन पट्टा धारक न होने की स्थिति में रॉयल्टी की राशि का 25% जुर्माना का भुगतान भी करना होगा।

इस गंभीर अनियमितता बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या SAD/CBA/2024/76 दिनाक 04-03-2024 द्वारा स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया। जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि के उपरान्त कहा गया कि, नियमों की जानकारी न होने के अभाव में न तो रॉयल्टी की कटौती की गई एवं न ही M फॉर्म लिए गए आगामी भविष्य में M-फार्म न होने की स्थिति में नियमानुसार रॉयल्टी की कटौती की जायेगी एवं उसे समयबन्ध सरकारी कोष में भी जमा करवा दिया जायेगा।

अत: उक्त प्रकरण से न केवल सरकारी राजस्व का वित्तीय रिसाव हो रहा है अपितु इस प्रकार से अवैध खनन से सरकारी आदेशों की भी स्पष्ट अवहेलना की जा रही है। यह एक गंभीर अनियमितिता है जो उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ विशेष रूप से लाई जाती है। अत: इस अनियमितता को न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा उद्योग विभाग के नियमों के अंतर्गत कार्रवाई की जानी सुनिश्चित की जाये एवं कृत कार्रवाई/अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को यथाशीघ्र अवगत करवाया जाये।

8.3 प्रॉपर/टैक्स बिलों पर भुगतान न करने के कारण सरकारी राजकोष को वस्तु एवं सेवाकर (GST) के तौर पर राशि ₹0.86 लाख की सम्भावित वित्तीय हानि बारे:-

केंद्रीय वस्तु एवं सेवाकर अधिनियम 2017 के प्रावधानों के अनुसार रेत, बजरी एवं पत्थर इत्यादि पर 5% की दर से GST का भुगतान किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत खज्जियार के अभिलेखों के नमूना अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं से रेत, बजरी व पत्थर इत्यादि की खरीद गई थी एवं पंचायत द्वारा इन्हें राशि ₹1798632/- भुगतान (जिसका पूर्ण विवरण संलग्न **परिशिष्ट "4"** में दिया गया है।) किया गया था परन्तु उक्त आपूर्तिकर्ताओं के GST संख्या के अवलोकन में पाया गया कि उक्त फर्में रेत, बजरी एवं पत्थर के व्यवसाय हेतु अधिकृत नहीं है। लेकिन उक्त फर्मों द्वारा न केवल उक्त सामान की आपूर्ति की गई अपितु इनसे वस्तु एवं सेवा कर की कटौती भी की गई है एवं यह बिल प्रापर/कम्प्यूटर जनरेटेड न होकर केवल परफोर्मा बिल है जिससे इन बिलों की सत्यता एवं प्रमाणिकता की पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं की

जा सकी। यह न केवल अनुचित प्रक्रिया है अपितु एक प्रॉपर टैक्स बिल के अभाव में सरकार को देय वस्तु व सेवा कर (GST) के तौर पर लगभग राशि ₹85649/- की सम्भावित वित्तीय हानि भी हुई है।

उक्त गम्भीर प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या 77 दिनाँक 04-03-2024 द्वारा सचिव के ध्यानार्थ वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया जिसके प्रत्युतर में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि के उपरान्त पत्र द्वारा सूचित किया कि उक्त आपूर्तिकर्ताओं द्वारा पंचायत से सामग्रियों पर GST ले लिया गया है परन्तु इस सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी न होने के कारण यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता कि वास्तव में GST को सरकारी राजकोष में जमा करवाया गया है या नहीं इस मामले की पंचायत स्तर पर छानबीन करके कृत कार्रवाई से शीघ्र ही अंकेक्षण विभाग को अवगत करवा दिया जायेगा एवं भविष्य में टैक्स बिलों पर ही भुगतान किया जायेगा।

अत: उक्त प्रकरण को तथ्यों सहित न्यायोचित ठहराया जाये एवं उक्त आपूर्तिकर्ताओं द्वारा यदि कोई उक्त बिलों के समयबद्ध में कर भुगतान किया गया हो तो उनका साक्ष्य अनुवर्तन रिपोर्ट के साथ अंकेक्षण विभाग को शीघ्र प्रेषित किया जाये अन्यथा नियमाविरुद्ध किये गए भुगतानों पर देय कर की पूर्ण गणना उपरान्त उक्त राशि की उचित स्रोत से वसूली करके सम्बन्धित खाते/कोष में जमा करवाई जाये एवं कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को भी अवगत करवाया जाये। यह गंभीर प्रकरण उच्चाधिकारियों के समक्ष इस आशय से लाया जाता है कि ऐसे प्रकरणों की गहन जांच की नितांत आवशयकता है ताकि किसी भी प्रकार से सरकारी धन के दुरूपयोग एवं कर अदेयता के मामलों की सम्भावना को पूर्णत: नकारा जा सके।

8.4 कनिष्ठ अभियंता एवं तकनीकी स्तर पर राशि ₹10.90 लाख के निर्माण कार्यों से सम्बन्धित स्वीकृति/कार्य आदेश, प्राक्कलन एवं मापन पुस्तिका इत्यादि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करने बारे :-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 व संशोधित नियम 2017 के नियम 94, 95 व 101 के अनुसार किसी भी विकास कार्य का निष्पादन प्रशासनिक, तकनीकी स्वीकृति, मापन पुस्तिका व प्राक्कलन तैयार किये बिना नहीं किया जा सकता है।

ग्राम पंचायत खज्जियार की नमूना लेखा परीक्षा के दौरान कनिष्ठ अभियंता एवं तकनीकी स्तर पर निम्न विवरणानुसार करवाए गए कार्यों के प्रशासनिक, तकनीकी स्वीकृति, कार्य आदेश,

प्राक्कलन मापन पुस्तिका, उपयोगिता प्रमाण पत्र इत्यादि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए जिसके अभाव में उक्त स्तर पर किये गए कार्यों व उसमे प्रयुक्त सामग्री/लेबर के व्यय, खपत, सत्यता एवं प्रमाणिकता की पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी।

क्रम संख्या अनुदान/	**कार्य विवरण**	**स्वीकृत राशि**	**टिप्पणी**
1.VBKY 2021-22	कार्य:पक्का कंक्रीट रोड बनाडू से चील मोड़ R/वाल सहित	500000	MB,UC, Estimate Work Order and Technical sanction order
2.VBKY 2021-22	कार्य : कार्य:पक्का कंक्रीट रोड चील मोड़ से काढी वन	500000	do
3. IWMPXIII-2022-23	कार्य: जल संग्रहण टैंक रेह बलदेव सुपुत्र चतरो की जमीन पर	90000	do
	कुल योग	**₹1090000**	

इस बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या-81 दिनाँक 05-03-2024 द्वारा पंचायत सचिव को उक्त अनियमितता के सम्बन्ध में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु कहा गया। इसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों व आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त कहा कि, उक्त कार्यों से सम्बन्धित समस्त अभिलेख कनिष्ट अभियंता के पास विकास खंड में पड़े हुए है यह पंचायत में उपलब्ध नहीं है जिससे कि इन्हें अंकेक्षण में सत्यापन हेतु प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। उत्तर तकर्संगत प्रतीत नहीं होता है। अत: उक्त वांछित अभिलेखों को अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

9.1 औपचारिकताओं (Codal Formalities) को पूर्ण किए बिना ही राशि ₹0.96 लाख के स्टॉक/स्टोर का अनियमित क्रय करने बारे:-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, सकंर्म, कराधान व भत्ते व नियमावली 2002 के नियम 67(4), 67(5), 69 एवं 70 स्टॉक/स्टोर का क्रय, भंडारण एवं जारी करने की

औपचारिकतायें यथा निविदायें,कुटेशन (Quatations) आमंत्रित करना, मांग, अनुबंध सूची, आपूर्ति आदेश इत्यादि प्रावधित है।

परन्तु पंचायत के नमूना/चयनित अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि, ग्राम पंचायत खज्जियार द्वारा राशि ₹96445/- के स्टॉक/स्टोर का क्रय औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया। (जिसका पूर्ण विवरण संलग्न **परिशिष्ट "3"** में दिया गया है।) जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। उक्त राशि की सामग्री व सेवाओं का क्रय औपचारिकतायें पूर्ण किए बिना ही किया गया। जिससे कि ग्राम पंचायत को न केवल बाजारी प्रतिस्पर्धा के लाभ से वंचित होना पड़ा बल्कि पंचायती राज अधिनियम 2002 के सरकारी नियमों की अवहेलना भी की गई, जोकि एक गंभीर अनियमितता है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या-74 दिनाँक 04-03-2024 द्वारा उक्त प्रकरण सचिव के ध्यानार्थ लाया गया। जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त कहा गया कि भविष्य में नियमानुसार सभी औपचारिकताओं को पूर्ण करने उपरान्त ही क्रय किया जायेगा। उत्तर तर्कसंगत नहीं है एवं बिना कुटेशन के क्रय करना संदिग्ध प्रतीत होता है यह मामला उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ विशेष तौर से लाया जाता है।

अत: इस अनियमितता की सक्षम अधिकारी से कार्योतर स्वीकृति लेकर इस व्यय को नियमित करवाया जाए अन्यथा आवश्यक विधिवत औपचारिकतायें पूर्ण किये बिना, की गई समस्त खरीद से हुई हानि की प्रतिपूर्ति उचित स्त्रोत से करके सम्बन्धित निधि में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाये तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय, भंडारण एवं निर्गम किया जाना सुनिश्चित किया जाए तदानुसार कृत कार्रवाई से लेखा परीक्षा विभाग को यथाशीघ्र अवगत करवाया जाये।

9.2 वन बंधू अनुदान के अंतर्गत राशि ₹3000 का अधिक भुगतान करने बारे :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के **चैप्टर- 9 नियम 76** के अनुसार सम्बन्ध पंचायत का सचिव यदि कोई पंचायत निधि से किये गए अति संदाय/अधिक भुगतान, चाहे सदभाव से किया गया है, की तत्पर वसूली करने का जिम्मेदार होगा।

ग्राम पंचायत के नमूना अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा मस्टरोलों में तय दर से अधिक भुगतान करने के कारण निम्नविवरणानुसार राशि ₹3000 का अधिक भुगतान किया गया।

कार्य का नाम	मस्टरोल संख्या	वाउचर संख्या/दिनांक	कुल कार्य दिवस एवं दर	कुल कार्य दिवस एवं दर अपेक्षित	अधिक भुगतान
.1 पक्का कंक्रीट रोड चील मोड़ से काढी वन	40/12004	/03 2021-04-12	305@300 91500	300@300 90000	1500
2 पक्का कंक्रीट रोड बनाड़ू से चील मोड़	39/12007	/04 2021-04-12	305@300 91500	300@300 90000	1500
		कुल योग	**₹183000**	**₹180000**	**₹3000**

इस सम्बन्ध में अंकेक्षण अधियाचना संख्या-75 दिनाँक 04-03-2024 द्वारा उक्त प्रकरण सचिव के ध्यानार्थ लाया गया। जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त कहा गया कि, यह भुगतान गलती से हो गया है इसकी शीघ्र ही वसूली करके सम्बन्धित खाते में राशि जमा करवा दी जाएगी। अत: उक्त राशि की प्रतिपूर्ति करके सम्बन्धित खाते में शीघ्र जमा करवा दी जाये एवं अन्य ऐसे मामलों की पंचायत स्तर पर छानबीन उपरान्त अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाई जाये तथा कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

9.3 एकीकृत वाटरशेड विकास कार्यक्रम (IWMP) के रिवोलविंग फंड (परिक्रमा निधि) के तहत जारी ऋण राशि ₹1.50 लाख का सम्भावित दुर्विनियोजन करने बारे:-

कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड व जिला चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या DRDA/CBA/ PMKSY-FUND-1296 दिनाँक जुलाई, 2020 के अंतर्गत छ: स्वयं सहायता समूहों को ₹25000 प्रति समूह की दर से कुल (25000x6) ₹150000 परिक्रमा राशि को निहित शर्तों की अनुपालना उपरान्त आबंटन की स्वीकृति प्रदान की गई थी।

ग्राम पंचायत के नमूना अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा छ: स्वयं सहायता समूहों में से केवल पांच समूहों को ही राशि प्रदान की गई एवं शेष बची राशि ₹25000 से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये गये। इसके अतिरिक्त पाँच समूहों को आबंटित ऋण राशि ₹125000 को उक्त आदेश एवं करारनामा की शर्तों के अनुसार 18 महीने की अवधि

में वापिस लिया जाना अपेक्षित था परन्तु यह राशि दो वर्षो से अधिक की अवधि बीत जाने पर भी पंचायत द्वारा वापिस नहीं लिया गया है और न ही इसकी वापसी हेतु कोई प्रयास किये गए है जोकि संदिग्ध प्रतीत होता है।

इस गम्भीर अनियमितता के सम्बन्ध में अंकेक्षण अधियाचना संख्या-79 दिनाँक 04-03-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त कहा गया कि, छः स्वयं सहायता समूहों में से केवल पांच समूहों को ही राशि प्रदान की गई एवं इसकी वसूली अभी तक नहीं की गई है इस सम्बन्ध में शीघ्र ही अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

यह काफी गम्भीर वित्तीय अनियमितता है इसमें ऋणों के तौर पर आबंटन हेतु न तो औपचारिकताओं को पूर्ण किया गया एवं कुल स्वीकृत राशि ₹150000 में से ₹125000 का दो वर्षों से भी अधिक का समय बीत जाने के उपरान्त भी इसकी प्रतिपूर्ति नहीं की गई एवं ₹25000 जो आबंटित नहीं की गई थी उस राशि के सम्बन्ध में भी कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। जोकि न केवल उक्त आदेशों की स्पष्ट अवहेलना है अपितु इससे उक्त राशि के दुर्विनियोजन की सम्भावना को भी नहीं नकारा जा सकता है। यह प्रकरण उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ विशेष तौर से लाया जाता है। अत: उक्त आबंटित राशि की निहित शर्तानुसार ब्याज सहित प्रतिपूर्ति करके एवं ₹25000 की राशि जो आबंटित नहीं की गई है उसकी प्रतिपूर्ति करके सम्बन्धित खाते में शीघ्र जमा करवाई जाये एवं अन्य ऐसे मामलों की विभागीय स्तर पर जाँच उपरान्त अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाई जाये व कृत अनुपालना से अंकेक्षण को यथाशीघ्र अवगत करवाया जाये।

9.4 एकीकृत वाटरशेड विकास कार्यक्रम (IWMP) के अंतर्गत लाभार्थी शेयर राशि ₹0.39 लाख की अपेक्षित कटौती किये बिना ही ₹5.58 लाख के व्यक्तिगत कार्यों का निष्पादन :-

एकीकृत वाटरशेड विकास कार्यक्रम (IWMP) के तहत कार्यालय विकास खण्ड अधिकारी चंबा के स्वीकृती पत्र संख्या DRDA/CBA/PMKSY-Fund-1296 दिनाँक 13-07-2020 में निहित शर्त क्रमांक 40 के अनुसार NRM व्यक्तिगत कार्यों के निष्पादन की स्थिति में सामान्य श्रेणी एवं अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों से आवशयक तौर पर क्रमशः 10% एवं 5% की दर से शेयर की कटौती करने उपरान्त WDF खाते में जमा करवाया जाना अपेक्षित था। परन्तु ग्राम पंचायत खज्जियार द्वारा प्रस्तुत सूचना/अभिलेखों के नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि, पंचायत द्वारा Natural Resource Management श्रेणी के अंतर्गत

राशि ₹558200 व्यक्तिगत कार्य करवाये गए परन्तु इन कार्यों के निष्पादन हेतु न तो उक्त कार्यक्रम की शर्तों की पूर्णता: अनुपालना की गई और न ही अपेक्षित शेयर की कटौती की गई जिससे कि निम्न विवरणानुसार राशि ₹39265 की वित्तीय हानि हुई। पंचायत द्वारा WDF का खाता भी दिनाँक 03-06-2023 को खुलवाया गया जबकि इससे पूर्व की अवधि में कई लाखों की राशि के व्यक्तिगत कार्य निष्पादित किये गए।

Individual Work Name	Name of Beneficiary	Category	Project Cost	Share from beneficiary	Share to be deducted
जल संग्रहण टैंक रेह मे व्यास देव s/o सुरताज की जमीन मे	व्यास देव s/o सुरताज	APL/SC	90000	0	4500
पेयजल टैंक दरोल मे गरिवो देवी पत्नी श्री चतर सिंह की जमीन मे	गरिवो देवी पत्नी श्री चतर सिंह	APL/SC	120000	0	6000
जल संग्रहण टैंक मनसा रामs/oहरिया राम के घर के पास	मनसा राम s/o हरिया राम	APL/SC	90000	0	4500
जल संग्रहण जय कुमारs/o मोहन लाल पंजियारा की जमीन मे	जय कुमार s/o मोहन लाल	APL/GEN.	89000	0	8900
पेयजल टैंक पनिहार पंजियारा चन्द रामs/o मिंकू राम की जमीन मे	चन्द राम s/o मिंकू राम	APL/GEN.	107000	0	10700
कच्चा तालाब भथ्ली अश्वनी की जमीन में	अश्वनी	APL/GEN	31100	0	3110
कच्चा तालाब उत्तम चन्द s/o श्रीधर गाँव बहाड़ी की जमीन में	उत्तम चन्द s/o श्रीधर	BPL/SC	31100	0	1555
		कुल योग	**₹558200**	**0**	**₹39265**

अंकेक्षण अधियाचना संख्या-79 दिनाँक 04-03-2024 द्वारा उक्त गम्भीर प्रकरण सचिव के ध्यानार्थ लाया गया। जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त कहा गया कि, IWMP के तहत व्यक्तिगत क्षेणी में करवाए गए कार्यों में पंचायत फंड एवं लाभार्थी व्यक्ति के शेयर के अनुपात में कार्य करवाए जाने अपेक्षित थे परन्तु तत्कालीन सचिव द्वारा बिना

लाभार्थियों से कोई शेयर लिए बिना ही कार्य करवाए गए हैं इस सम्बन्ध उनसे जवाब लेकर अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा। प्रस्तुत उत्तर संतोषजनक नहीं है।

अत: पंचायत द्वारा लाभार्थियों से अपेक्षित शेयर की कटौती किये बिना कार्यों का निष्पादन करना न केवल उक्त आदेश की स्पष्ट अवहेलना है। परन्तु लाभार्थियों को अनुचित लाभ देकर सरकारी राजस्व की भी हानि हुई है। यह गम्भीर प्रकरण उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ विशेष तौर पर लाया जाता है चूंकि अंकेक्षण के दौरान केवल नमूना माहों के ही भुगतानों को जांचा गया है, अत: उक्त राशि एवं शेष अवधि में हुए ऐसे प्रकरणों की विभागीय स्तर पर गहन जाँच करके अपेक्षित शेयर को Watershed Development Fund खाते में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाये एवं कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को यथाशीघ्र अवगत करवाया जाये।

9.5 राशि ₹2.31 लाख के मस्ट्रोलों के भुगतान में पाई गई वित्तीय व अन्य विविध अनियमितताओं बारे :-

हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षण, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम **49(1)(2)** में वर्णित प्रावधानुसार ग्राम पंचायत द्वारा पारित भुगतान ग्राम पंचायत के प्रधान और सचिव द्वारा संयुक्त हस्ताक्षरित किया जाना अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त इस अधिनियम के नियम 93(क) एवं अधिनियम 1994 की धारा 23 के अधीन गठित संकर्म समिति एवं नियम 108 के अनुसार सतर्कता समिति पंचायत द्वारा निष्पादित निर्माण कार्यों का निरीक्षण करेगी। ग्राम पंचायत खज्जियार के नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि, पंचायत द्वारा अग्रतालिका के विवरणानुसार कुल राशि ₹231300/- का व्यय किया गया। जिसमें निम्नलिखित विभिन्न अनियमितताये पाई गई :-

1. मस्टरोल पर सतर्कता समिति के हस्ताक्षर न करवाने बारे।
2. प्रधान एवं सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर के बिना ही भुगतान करने बारे।
3. मस्टरोल में दर्ज कुल मजदूरों की उपस्थिति को प्रधान द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था।
4. मस्टरोल में अन्य विवरण जैसे: प्रस्ताव संख्या, दिनाँक, कार्य का नाम, कार्य शुरू करने एवं समाप्ति की तिथि इत्यादि का विवरण अपूर्ण पाया गया।

क्र०स०/ अनुदान	निर्माण कार्य	मस्ट्रोल संख्या	वाउचर/ दिनाक	राशि
.1VBKY 20212-2	कार्य:पक्का कंक्रीट रोड बनाडू से चील मोड़ R/वाल सहित	12014/ 12017	15 & 16/ 01-09-2021	35100
.2 VBKY 20212-2	कार्य : पक्का कंक्रीट रोड बनाडू से चील मोड़ R/वाल सहित	39437	04/ 12-04-2021	91500
3. VBKY 20212-2	कार्य : कार्य : कार्य:पक्का कंक्रीट रोड चील मोड़ से काढी वन	12011/ 12016	24 & 25/ 01-09-2021	37800
4.IWMP 2022-23	कार्य : पेवर पाथ हिमाचल टूरिज्म मेन रोड से बंगबेही	12037/ 12029	01 & 02/ 10-08-2022	66900
			कुल योग	**₹231300**

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 78 दिनाँक 04-03-2024 के द्वारा उक्त प्रकरण को सचिव, के ध्यानार्थ वस्तुगत स्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया। जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा उपरोक्त सभी तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त कहा कि, उक्त वर्णित अनियमितताओं की पुनरावृत्ति भविष्य में नहीं की जायेगी तथा कृत कार्रवाई से अवगत करवा दिया जायेगा। अत: इस सम्बन्ध में आगामी आवश्यक कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को अवगत करवाया जाये।

9.6 पंचायत प्रधान के एकल हस्ताक्षर द्वारा ही राशि ₹2.23 लाख का अनियमित भुगतान करने बारे :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम **49(1)(2)** के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा भुगतान हेतु ग्राम पंचायत प्रधान व सचिव दोनों द्वारा संयुक्त हस्ताक्षरित किया जाना जरुरी है।

ग्राम पंचायत खज्जियार के नमूना/चयनित अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत प्रधान द्वारा एकल हस्ताक्षर से ही निम्न विवरणानुसार राशि **₹**222807/- भुगतान किये गए थे जोकि न केवल उक्त नियमों की स्पष्ट अवहेलना है अपितु यह संदिग्ध भी प्रतीत होता है जिसके अंतर्गत राशि के दुर्विनियोजन की सम्भावना को भी नहीं नकारा जा सकता है एवं न ही किये गए भुगतानों की सत्यता व प्रमाणिकता की पुष्टि नहीं की जा सकी।

Sr.No./ Head	Vr. No./ Date	Material	Qty./rate	Supplier	Amount
1.15TH FC	17/ 23-09-22	Stone	26.66m3@ 1800	M/S Govind Singh VPO Jhulara, Chamaba	48000
2.Sabha Nidhi	11/ 10-08-22	Office Furniture	-	M/S Aya Singh Ram Nath Parel, Chamba	100000
3. MGREGA	33 / 07-01-22	Aggregate	35.40m3@ 2113.19	M/S Man Singh PO Sirhkund, Chamba	74807
				TOTAL	**₹222807**

इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या-75 दिनांक 04-03-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव, ग्राम पंचायत खज्जियार द्वारा आंकड़ों व तथ्यों की पुष्टि उपरान्त कहा गया कि, भविष्य में सारे भुगतान प्रधान व सचिव के सयुंक हस्ताक्षर के उपरान्त ही किया जायेंगे। अत: नियमों के विरुद्ध किये गए भुगतानों को न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

9.7 क्रय पत्थरों की मात्रा मानक इकाई क्यूबिक मीटर में न दर्शा कर कुल संख्या में दर्शाने बारे :-

ग्राम पंचायत खज्जियार के नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि, पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि में पत्थरों के क्रय किये गए बिलों में मात्रा पंचायती राज द्वारा निर्धारित मानक इकाई क्यूबिक मीटर में न होकर संख्या में दर्शाई गई है जोकि पत्थरों की मात्रा को दर्शाने वाला अधिकृत/उचित मानक प्रतीत नहीं होता है।

इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या-80 दिनांक 05-03-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव एवं तकनीकी सहायक द्वारा सूचित किया कि, 150 पत्थर में एक क्यूबिक मीटर बनते हैं एवं भविष्य में पत्थरों को क्यूबिक मीटर में ही क्रय किया जायेगा। अत: इस सम्बन्ध में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

10.1 रोकड़ बहियों का रख-रखाव/संधारण नियमानुसार न करने बारे :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 7 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार रोकड़ बहियों का रख-रखाव किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत खज्जियार के अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों का संधारण उचित तरीके से नहीं किया गया था। रोकड़ बहियों में न तो प्रगतिशील योग किये गए हैं और न ही अथशेष व अंतशेष दर्शाए गए है और न ही ऑनलाइन रोकड़ बहियों को अंकेक्षण में उपलब्ध करवाया गया, जोकि उचित प्रतीत नहीं होता है। इसके अतिरिक्त ऐसी स्थिति में बैंक से किये जा रहे लेन-देन पर भी कोई नियन्त्रण नहीं रह जाता तथा रोकड़ बही, बैंक खाते में उपलब्ध शेष राशि बारे में कोई विश्वसनीय सूचना उपलब्ध नहीं करवाती। ऐसी स्थिति में पंचायत द्वारा बनाई जा रही आय-व्यय तालिका तथा संतुलन पत्र की मदें भी विश्वसनीय नहीं रह जाती तथा इसमें अनाधिकृत समायोजन की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता।

इस सन्दर्भ में जारी अधियाचना संख्या-80 दिनाँक 05-03-2024 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा कहा गया कि, भविष्य में रोकड़ बहियों का रख-रखाव नियमानुसार किया जायेगा एवं ऑनलाइन रोकड़ बहियों को पंचायत अभिलेख में रख लिया जायेगा। अतः भविष्य में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

10.2 पंचायत के वार्षिक लेखा खातों, आय-व्यय विवरणों एवं बैलेंस शीट इत्यादि को अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने बारे :-

ग्राम पंचायत खज्जियार के नमूना अंकेक्षण में पंचायत द्वारा संधारित किये जाने वाले आवश्यक अभिलेखों यथा वार्षिक प्राप्ति एवं भुगतान खाता, ट्रायल बैलेंस, आय.एवं व्यय विवरण, बैलेंस शीट एवं अन्य वित्तीय विवरणों को प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे कि पंचायत के उक्त लेखा खातों/अभिलेखों का अंकेक्षण के दौरान सत्यापन व प्रमाणीकरण नहीं किया जा सका।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या-80 दिनाँक 05-03-2024 द्वारा पंचायत सचिव से उक्त वित्तीय विवरणों को लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करने के सम्बन्ध में अपना पक्ष रखने को कहा गया

जिसके जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा बताया गया कि उक्त समस्त अभिलेख/वित्तीय विवरण पंचायत में उपलब्ध नहीं है जिस कारण यह अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया जा सके । उत्तर संतोषजनक नहीं है।

अत: उक्त अभिलेखों/वित्तीय विवरणों का संधारण न करना अथवा उनका पंचायत रिकॉर्ड में उपलब्ध न होना न केवल नियमानुसार अनुचित है अपितु यह आपत्तिजनक भी है। इस सम्बन्ध में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

10.3 खाता "क" तथा "ख" को अलग से नियमानुसार संधारित न करने बारे :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, सम्परीक्षा, संकर्म, कराधान एवं भत्ते) नियमावली 2002 के **नियम 4** के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा अपनी आय (स्व:-स्त्रोत) के लिए खाता "क" तथा अनुदानों और विशेष प्रयोजनों के लिए खाता "ख" अलग-अलग से खोले जाने अपेक्षित हैं।

वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2022-23 के अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा अपनी आय (स्व:-स्त्रोत) के खाते को पृथक नहीं रखा गया है। अपितु अन्य अनुदानों जैसे 3rd/5th स्टेट का एक बैंक खाते एवं एक ही रोकड़ बही में संधारण किया जा रहा है। जोकि उक्त नियम की स्पष्ट अवहेलना है।

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 80 दिनांक 05-03-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया कि, पंचायत के स्व:-स्त्रोत आय व्यय के लिए पृथक बैंक खाता खुलवा लिया जाएगा। अत: इस सम्बन्ध में आगामी आवश्यक कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

10.5 PRIYA SOFTWARE में संधारित लेखों तथा MANNUAL संधारित लेखों में राशि ₹0.64 लाख के अन्तर बारे :-

पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में E-PANCHAYT मिशन प्रोजेक्ट (MPP) प्रारम्भ की गई तथा जिसका क्रियान्वयन पंचायती राज विभाग हि०प्र० कर रहा है। इस योजना के क्रियान्वयन के साथ-साथ हि०प्र० पंचायती राज नियम (सामान्य) 1997 के नियम 34 में वर्णित सभी रजिस्टरों को कागज़ रहित प्रणाली के अंतर्गत E-PANCHAYT में बदलने का कार्य भी पंचायती राज विभाग की प्राथमिकता है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा लेखों का अनुरक्षण मैनुअल तथा प्रिया सॉफ्टवेयर दोनों माध्यमों से किया जा रहा है; तथा जो लेखे PRIYA सॉफ्टवेयर में बनाये गए थे वे मैन्युअल रोकड़ बही लेखों व बैंक खातों से मेल नहीं खाते। दिनाँक 31-03-2023 को PRIYA सॉफ्टवेयर व मेनुअल लेखों में निम्नविवरणानुसार राशि ₹64412.31 का अन्तर पाया गया।

31-03-2023 को PRIYA सॉफ्टवेयर व मेनुअल संधारित लेखों (रोकड़ बही) में अन्तशेष

31-03-2023 को PRIYA SOFT. में संधारित रोकड़ बही का अन्तशेष	₹38,87,545.48
31-03-2023 को पंचायत द्वारा मेनुअल संधारित रोकड़ बही का अन्तशेष	**₹38,25,133.17**
अन्तर	₹64,412.31

उपरोक्त तथ्यों के मध्यनजर ऐसा प्रतीत होता है कि पंचायत सचिव द्वारा PRIYA सॉफ्टवेयर में आंकड़े सही ढंग से संधारित नहीं किये जा रहे हैं, जोकि न केवल उक्त नियमों की स्पष्ट अवहेलना है अपितु इसमें अनाधिकृत समायोजन की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता।

इस सम्बन्ध में सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या 80 दिनाँक 05-03-2024 द्वारा स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया। जिसके उत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया कि, ऑनलाइन एवं मैन्युअल रोकड़ बही के अंतर का मिलान करके शीघ्र ही अनुपालना से विभाग को अवगत करवा दिया जायेगा। उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि PRIYA सॉफ्टवेयर में आंकड़ों का संधारण किया जाना पंचायती राज विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुसार अनिवार्य है। अत: दोनों अन्तर की छानबीन व पुनर्मिलान करके अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को अवगत करवाया जाए।

10.6 महत्वपूर्ण रजिस्टरों/अभिलेखों का अनुरक्षण नियमानुसार न करने बारे :-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के **<u>नियम 29 से 31</u>** व हिमाचल प्रदेश पंचायती राज सामान्य नियम के **<u>नियम 34</u>** के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का अनुरक्षण किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख-रखाव या तो अपूर्ण था अथवा निर्धारित प्रपत्र पर नियमानुसार संधारित नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है।

क्र०	रजिस्टर/अभिलेख	फॉर्म संख्या	संदर्भित नियम	टिप्पणी
1.	बजट प्राक्कलन	11	37	अपूर्ण
2.	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	09	30	संधारित नहीं
3.	मासिक बैंक समाधान विवरणी	----	15(1)	संधारित नहीं
4.	अनुदान रजिस्टर	21	61(1)	संधारित नहीं
5.	वर्गीकृत सार	08	29(4)	संधारित नहीं
6.	निर्माण कार्य रजिस्टर	--------	103	संधारित नहीं
7.	तकनीकी जाँच पड़ताल व मंजूरी आकलन	31	95(1)	संधारित नहीं
8.	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 व 26	72 (1) AB	संधारित नहीं
9.	बही खाता (Ledger)	07	29 (1 से 4)	संधारित नहीं

इस बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या-80 दिनाँक 05-03-2024 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा कहा गया कि, भविष्य में विहित रजिस्टरों का रख-रखाव नियमानुसार किया जायेगा। अत: भविष्य में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

11 भौतिक सत्यापन (Physical Verification) न करवाने बारे:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण,सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के **नियम 73** के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है। परन्तु ग्राम पंचायत खज्जियार की लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन अंकेक्षण अवधि में एक बार भी नहीं किया गया है। जिसके बिना वाउचर/बिल विशेष के तहत खरीदी गई सामग्री की भौतिक रूप में उपलब्धता एवं उसकी वर्तमान स्थिति का पता नहीं लगाया जा सकता। समय-समय पर स्टोर/स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन न होने से सामग्री विशेष के दुरूपयोग की संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता। यह एक गंभीर अनियमितता है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या-80 दिनाँक 05-03-2024 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों की पुष्टि उपरान्त कहा कि, भविष्य में क्रय स्टोर/स्टॉक का भौतिक सत्यापन करवा कर विभाग को अवगत करवा दिया जायेगा। उत्तर तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता है क्योंकि गत अवधि में क्रय किये सामान के भौतिक सत्यापन के अभाव में उसके दुरूपयोग की संभावना से इंकार

नहीं किया जा सकता । अतः मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये ।

12 **लघु आपत्ति विवरणिका:-** लघु आपत्ति विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई है । अपितु समय-समय पर चर्चा के दौरान सभी पहलुओं, नियमों/प्रावधानों पर प्रकाश डाला गया ।

13 **निष्कर्ष :-** उक्त अनियमितताओं के दृष्टिगत न केवल लेखों के सुधार अपितु नियमानुसार कार्रवाई न करके वित्तीय व विविध प्रक्रियात्मक चूक सम्बन्धी अनिमिततायें की जा रही है । यह बात उच्चाधिकारियों के समक्ष विशेष तौर पर इस आशय से लाई जाती है कि, उक्त अनियमितताओं के दृष्टिगत पंचायत के गहन जांच की नितांत आवश्यकता है ताकि किसी भी प्रकार से सरकारी धन के दुर्विनियोजन की सम्भावना को नकारा जा सके ।

05 JUN 2024

(कृष्ण लाल नेगी) 05.06.24
सहायक निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला–171009

2308-2312 क्रा0 /50

पृष्ठांकन संख्याः– फिन (एल0ए0) एच (पंच) 15 (7) 145/2024 खण्ड–1 दिनांक शिमला–09
प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।
3 जिला पंचायत अधिकारी चम्बा, जिला चम्बा, हि0प्र0।
4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड चम्बा, जिला चम्बा हि0प्र0।

पंजीकृत 5 सचिव, ग्राम पंचायत खज्जियार, विकास खण्ड चम्बा, जिला चम्बा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

05.06.24
(कृष्ण लाल नेगी)
सहायक निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला–171009

क्रा0/50

Financial Position of GP Khajjiyar for the Year 2021-2022 To 2022-2023

1. Own Source (3rd/5th State FC)

FINANCIAL YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2021-22	3222858.17	407506.00	3630364.17	477931.00	3152433.17
2022-23	3152433.17	621850.00	3774283.17	934916.00	2839367.17

2. Grants in aid

FINANCIAL YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2021-22	1641318.00	7475039.00	9116357.00	7500779.44	1615577.56
2022-23	1615577.56	3459935.76	5075513.32	4089747.32	985766.00

3825133.17

नोट: प्रमाणित किया जाता है कि ग्राम पंचायत खाज्जियार, विकास खंड चम्बा में उपरोक्त निधियों के अंतर्गत छः रोकड़ बहियाँ का संधारण किया जा रहा है।

1+2 (2839367.17+ 985766 = 3825133.17)

	C/B as per Cash Books	3825133.17
	C/B as per Bank Passbook	3237800.29
Difference	**(Less in bank passbook**	**587332.88**

INCOME STATEMENT GP KHAJJIAR FOR THE YEAR 2022-23

MONTH	OWN SOU	SDP	IAY	VKVNY	AAY	WATER SH	SBM	SCSP	5rd STAT	14thfc	15thfc	MGNREGA	VBKY	PMGAY	Total
April	38754	0	0	0	0	0		0	66300		4512	318000	0	6574	434140
May	0	0	0	0	0	653			0	653		156000	0	0	157306
June	0	0	0	0	32	325997.8	195		0		90837	164000	0	0	581061.76
July	**61949**	0	0	0	0	0			0			44000	0	0	105949
August	465	0	0	0	0	92562			118756		87923	106000	0	0	405706
Septembe	50	556	0	0	15	749	189	0	0			423000	269	3560	428388
October	40496	275000	0	0	0	0			40440		134016	281000	287	60	771299
Nomber	425	0	0	0	0	0			0			33000	0	0	33425
Decembe	3181	0	157	0	15	0	228	0	78600		131884	82000	0	0	296065
January	100	225	77	0	0	756			0		52679	17000	4392	0	75229
February	22240	0	0	0	0	0			78600			0	0	150000	250840
March	30379	0	76	0	0	0			41115		219807	251000	0	0	542377
Total	**198039**	**275781**	**310**	**0**	**62**	**420717.8**	**612**	**0**	**423811**	**653**	**721658**	**1875000**	**4948**	**160194**	**4081785.76**

Expenditure STATEMENT GP KHAJJIAR FOR THE YEAR 2022-23

MONTH	OWN SOU	SDP	IAY	VKVNY	AAY	WATER SH	SBM	SCSP	5rd STAT	14thfc	15thfc	MGNREGA	VBKY	PMGAY	Total
April	1133	0	0	0	0	0		0	23700	160572	68240	318000	0	0	571645
May	**120867**	**0**	**0**	**0**	**0**	**440015.3**		**0**	**0**	**653**	**20988**	**156000**	**0**	**0**	**738523.32**
June	1400	145690	0	0	0	96162		0	0		7920	164000	0	0	415172
July	0	0	0	0	0	0		0	0		165411	44000	0	0	209411
August	121220	0	0	0	0	182377		0	58000		0	106000	0	124500	592097
Septembe	0	0	0	0	0	0	18	0	0		60142	423000	0	0	483160
October	2678	268148	0	0	0	0		0	44900		55872	281000	0	0	652598
Nomber	259608	0	0	0	0	0		0	0		0	33000	0	0	292608
Decembe	5867	0	0	0	0	0	27639	0	60000		15282	82000	0	0	190788
January	99538	0	0	0	0	757		0	72000		89120	17000	0	0	278415
February	2975	0	0	0	0	0		0	29000		62111	0	0	156530	250616
March	16690	66600	0	0	0	0		0	15340			251000	0	0	349630
Total	**631976**	**480438**	**0**	**0**	**0**	**719311.3**	**27657**	**0**	**302940**	**161225**	**545086**	**1875000**	**0**	**281030**	**5024663.32**

सचिव
ग्राम पंचायत खज्जियार
विकास खण्ड चम्बा जिला

28

INCOME STATEMENT GP Khajjiar FOR THE YEAR 2021-22

MONTH	OWN SOU	SDP	IAY	VKVNY	AAY	Water Shed	SBM	SCSP	5rd STAT	14thfc	15thfc	MGNREGA	VBKY	PMGAY	Total
April	205	0	0	0		0		0	0		149464	10000	500000	0	659669
May	0	0	0	0		0		0	5323		86841	206000	0	0	298164
June	0	125000	0	0		272361	198	0	43600	2791	145460	236000	0	825000	1650410
July	0	0	0	0		164298		0	65400		3580	154000	0	0	387278
August	3292	0	0	0		0		0	0			526000	0	0	529292
Septembe	400	0	497	0	67	754217	200	0	0	2629	130261	212000	499338	0	1599609
October	**78202**	0		0	32	150000		0	66300			201000	0	6715	502249
Nomber	60	0		0		0		0	0		5130	259000	0	300000	564190
Decembe	7020	0	81	0	16	6583	199	0	0	2378		107000	1005	213	124495
January	1085	200000		0		49351		0	97403			9000	0	0	356839
February	2240	0		100000		0		0	29681		105319	283000	0	75000	595240
March	7295	0	81	0		5452	199	250000		2083		350000	0	0	615110
Total	**99799**	**325000**	**659**	**100000**	**115**	**1402262**	**796**	**250000**	**307707**	**9881**	**626055**	**2553000**	**1000343**	**1206928**	**7882545**

Expenditure STATEMENT GP Khajjiar FOR THE YEAR 2021-22

MONTH	OWN SOU	SDP	IAY	VKVNY	AAY	Water Shed	SBM	SCSP	5rd STAT	14thfc	15thfc	MGNREGA	VBKY	PMGAY	TOTAL
April	2600	0	0	0	0	0		0	48400		0	10000	252840	47400	361240
May	3000	0	0	0	0	0		0	0		0	206000	0	83973	292973
June	11396	0	0	0	0	0	0	0	20250		24240	236000	64640	179931	536457
July	0	0	0	0	0	0		0	0	50232	0	154000	76032	0	280264
August	65650	0	0	0	0	519555		0	39600		0	526000	0	0	1150805
Septemb	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**471977**	**0**	**0**	**34060**		**0**	**212000**	**595690**	**99792**	**1413519**
October	5236	104310	0	0	0	44385		0	0	4935	68247	201000	0	20550	448663
Nomber	10976	0	0	0	0	65.44		172320	84550	14367	0	259000	0	576374	1117652.44
Decembe	2349	0	0	0	0	23400		0	0		172617	107000	0	0	305366
January	8080	131852	0	0	0	168900		0	24200	89428	0	9000	0	0	431460
February	10100	0	0	0	0	0		0	0	10800	0	283000	0	0	303900
March	58684	0	0	0	0	344352		327680	48800	48661	76200	350000		82034	1336411
Total	**178071**	**236162**	**0**	**0**	**0**	**1572634**	**0**	**500000**	**299860**	**218423**	**341304**	**2553000**	**989202**	**1090054**	**7978710.44**

29

कार्यालय ग्राम पंचायत खज्जियार,विकास खण्ड चम्बा, जिला चम्बा (हि०प्र०)

दिनांक 01-04-2021 to 31-03-2023 को बैंक खातो में Opening व Closing Balance का विवरण

क्र० स०	अनुदान का नाम	खाता संख्या	बैंक का नाम	राशि 31-03-2023
1.	15वां वित्तायोग	50100312829264	HDFC CHAMBA	766772.12
2.	14वां वित्तायोग	99228100052211	HPGB OBRI	0
3.	SBM	99221700011428	HPGB OBRI	0
4.	IWMP-13TH	99220100007937	HPGB OBRI	0
5.	PMGAY	17910122691	HPSCB Chamba	145149
6.	AAY	99228100052208	HPGB OBRI	2268
7.	IAY	99221302200788	HPGB OBRI	11352
8.	VBKKY/VKVNY /SDP	99228100052212	HPGB OBRI	18826
9.	Sabha Nidhi/ 3rd State/SCSP	17910107009	HPSCB Chamba	2288133.17
			Cash in hand	886
			TOTAL	₹3233386.29 [redacted]

प्रमाणित किया जाता है कि, ग्राम पंचायत खज्जियार, में दिनाक 31-03-2023 उपरोक्त क्रम संख्या 01 से 09 तक वर्णित बैंक खाते खोले गए हैं |

नोट: WDF का खाता संख्या 17910123872 दिनांक 03/06/2023 को हि० प्र० सहकारी बैंक चंबा में खुलवाया गया है | इससे पूर्व इस निधि का पंचायत में कोई खाता नही खुलवाया गया है |

1) IWMP A/c Closed Dated 03/01/2023
2) SBM A/c Closed Dated 27/12/2022
3) 14thfc A/c Closed Dated 31/05/2022

सचिव
ग्राम पंचायत खज्जियार
विकास खण्ड चम्बा जिला
चम्बा (हि.प्र.)

Financial Position Grants in Aids of GP Khajjiyar for the Year to 2021-2022 To 2022-23							
Sr.No	Particulars	Year	Opening	Receipt	Total	Expenditure	Closing
1	MGNREGA	2021-22	0	2553000	2553000	2553000	0
		2022-23	0	1875000	1875000	1875000	0
2	15TH FC	2021-22	293293	626055	919348	341304	578044
		2022-23	578044	721658	1299702	545086	754616
3	14TH FC	2021-22	369114	9881	378995	218423	160572
		2022-23	160572	653	161225	161225	0
4	SCCP	2021-22	250000	250000	500000	500000	0
		2022-23	0	0	0	0	0
5	IWMP	2021-22	468966	1402262.00	1871228	1572634.44	298593.56
		2022-23	298593.56	420717.76	719311.32	719311.32	0
6	PMGAY	2021-22	218490	1206928.00	1425418	1090054	335364
		2022-23	335364	160194	495558	281030	214528
7	VBKY/VKVNY/SDP	2021-22	2747	1425343.00	1428090	1225364	202726
		2022-23	202726	280729	483455	480438	3017
8	SBM	2021-22	26249	796.00	27045	0	27045
		2022-23	27045	612	27657	27657	0
9	AAY	2021-22	2076	115.00	2191	0	2191
		2022-23	2191	62	2253	0	2253
10	IAY	2021-22	10383	659.00	11042	0	11042
		2022-23	11042	310	11352	0	11352

सचिव
ग्राम पंचायत खज्जियार
विकास खण्ड चम्बा जिला
चम्बा (हि.प्र.)

परिशिष्ट– "3"

ग्राम पंचायतखज्जियार, विकास खण्ड चंबा,जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना स्टॉक/स्टोर का क्रय करना (पैरा संख्या 9.1में संदर्भित)

Sr.No. Head	Vr. No./ Date	Material	Qty./rate	Supplier	Amount	Remarks
1.SF	09 & 10/ 22-06-21	Stationery	-	M/S Kailash General Store, Chamba	4896	Quotations
2.SF	44/ 22-03-22	Laptop screen Printer etc.	-	M/S Hari Om Computers , Chamba	24500	Quotations
3.SF	06/ 12-02-22	Computer Repair	-	M/S Plah Infotech, Chamba	7649	Quotations
4.SF	14/ 25-08-22	LED , Socket, MCV, Wire etc.	-	M/S Thakur Electrical Works Chamba	12000	Quotations
5.PMA GY	01/ 07-04-21	Paver Interlocking Tiles	1580@30	M/S Gujraat Tiles & Sanitary Stores VPO Sarol ,Chamba	47400	Quotations
				Total	**96445**	

परिशिष्ट "4" पैरा संख्या 8.2 व 8.3 में सन्दर्भित

DETAIL OF VENDER/SUPPLIER IN R/O GP KHAJIYAR FROM WHICH PURCHASE WITHOUT "M" FORM & NEITHER ROYALITY DEDUCTED & PROBABALE EXTRA PAYMENT OF GST

01-04-2021 TO 31-03-2023

SR. NO.	NAME OF VENDER/ SUPPLIER	GRANTS/ HEAD	VOUCHER/ DATE	NAME OF MATERIAL	QTY. M3	QTY. TONNE	AMOUNT PAID	RATE OF ROYALITY	ROYLITY NOT PAID	AMOUNT TO BE PAID	PAID GST
1	M/S Vikram Kumar	SCSP	41 to 43	Stone	18	40.32	27000	60	2419.20	25714.29	1285.71
	PO Khajjiar , Chamba		3/22/2022	Sand	22.65	36.24	48000	60	2174.40	45714.29	2285.71
				Aggre.	19.82	38.45	42000	60	2307.05	40000.00	2000.00
2	M/S Vikram Kumar	SF	16 To 18	Stone	37.33	83.62	67200	60	5017.15	64000.00	3200.00
	PO Khajjiar , Chamba		11/15/2022	Sand	11.61	18.58	24600	60	1114.56	23428.57	1171.43
				Aggre.	11.32	21.96	24000	60	1317.65	22857.14	1142.86
3	M/S Vikram Kumar	15TH FC	13.	Aggre.	16.99	32.96	36000	60	1977.64	34285.71	1714.29
	PO Khajjiar , Chamba		3/22/2022	Sand	9.06	14.50	19200	60	869.76	18285.71	914.29
				Stone	14	31.36	21000	60	1881.60	20000.00	1000.00
4	M/S Vikram Kumar	15TH FC	12 & 13	Sand	5.66	9.06	12000	100	905.60	11428.57	571.43
	PO Khajjiar , Chamba		7/27/2022	Aggre.	4.1	7.95	8700	100	795.40	8285.71	414.29
				Stone	20.66	46.28	37200	100	4627.84	35428.57	1771.43
5	M/S Vikram Kumar	15TH FC	17.	Stone	26.66	59.72	48000	100	5971.84	45714.29	2285.71
	PO Khajjiar , Chamba		9/23/2022					80	0.00	0.00	0.00
6	M/S Vikram Kumar	VBKY	09 to 14	Aggre.	43.98	85.32	93180	60	5119.27	88742.86	4437.14
	PO Khajjiar , Chamba		9/1/2021	Sand	21.97	35.15	46560	60	2109.12	44342.86	2217.14
				Stone	73.26	164.10	109890	60	9846.14	104657.14	5232.86
7	M/S Vikram Kumar	VBKY	17 TO 23	Sand	16.99	27.18	36000	60	1631.04	34285.71	1714.29
	PO Khajjiar , Chamba		9/1/2021	Aggre.	33.98	65.92	72000	60	3955.27	68571.43	3428.57
				Stone	110.1	246.62	165160	60	14797.44	157295.24	7864.76
8	M/S Vikram Kumar	IWMP	31 To 33	Sand	6.45	10.32	11400	60	619.20	10857.14	542.86
	PO Khajjiar , Chamba	XIII	9/4/2021	Stone	13.58	30.42	20370	60	1825.15	19400.00	970.00
				Aggre.	4.44	8.61	7850	60	516.82	7476.19	373.81
9	M/S Vikram Kumar	IWMP	36 to 38	Sand	2.2	3.52	3900	60	211.20	3714.29	185.71
	PO Khajjiar , Chamba	XIII	9/4/2021	Stone	103.7	232.29	36620	60	13937.28	34876.19	1743.81
				Aggre.	3.03	5.88	5350	60	352.69	5095.24	254.76
10	M/S Vikram Kumar	IWMP	40 to 42	Sand	6.45	10.32	11400	60	619.20	10857.14	542.86
	PO Khajjiar , Chamba	XIII	9/4/2021	Stone	13.75	30.80	20630	60	1848.00	19647.62	982.38
				Aggre.	4.27	8.28	7550	60	497.03	7190.48	359.52
11	M/S Vikram Kumar	IWMP	44 to 47	Sand	8.69	13.90	15350	60	834.24	14619.05	730.95
	PO Khajjiar , Chamba	XIII	9/4/2021	Stone	17.09	38.28	25640	60	2296.90	24419.05	1220.95
				Aggre.	6.82	13.23	12050	60	793.85	11476.19	573.81
12	M/S Vikram Kumar	MGREGA	24 To 26	Stone	55.96	125.35	90405	60	7521.02	86100.00	4305.00
	PO Khajjiar , Chamba		5/25/2022					60	0.00	0.00	0.00
13	M/S Vikram Kumar	MGREGA	27 to 32	Sand	13.02	20.83	27600	60	1249.92	26285.71	1314.29
	PO Khajjiar , Chamba		5/19/2022	Stone	120.17	269.18	158532	60	16150.85	150982.86	7549.14
14	M/S Vikram Kumar	MGREGA	33 to 38	Sand	48.71	77.94	103200	60	4676.16	98285.71	4914.29
	PO Khajjiar , Chamba		5/19/2022	Stone	50.16	112.36	90288	60	6741.50	85988.57	4299.43
				Aggre.	76.26	147.94	150107	60	8876.66	142959.05	7147.95
15	M/S Vikram Kumar	PMAGY	02 & 05	Stone	34.83	78.02	62700	60	4681.15	59714.29	2985.71
	PO Khajjiar , Chamba		8/3/2022								
						TOTAL	**1798632**		**143087**	**1712982.9**	**85649.14**

older than 25% penality on Amount after April ,2022 has been added so rate 80/ton + 25% Penalty = 100 Including Penlaty taken

Remarks:

1. All Figures are taken up to 2 Decimal
   Rate of Royalty is taken Rs60/80 per Tonne as Per Second Schedule of Deptt. Of Industry & Mining
   Conversion Factor
2. A. From Square Feet to Cubic Meter M3
   35.31 Sq.Ft. = 1 Cubic Meter (M^3) Common to all items Sand, Stone & Aggregate
3. B. From Cubic Meter (M^3) to Tonne

One Cubic Meter (M^3) Sand	1.6
One Cubic Meter (M^3) Aggregate Mi>	1.94
One Cubic Meter (M^3) Aggregate	1.46
One Cubic Meter (M^3) Stone	2.24

4. All items Sand, Stone & Aggre. average weight are taken for conversion while cubic meter to tonne.
5. As per quatation terms and condition Rate are inclusive of all Taxes but it is not cleared wether it is paid or r

सचिव
ग्राम पंचायत खज्जियार
विकास खण्ड मैहला जिला
चम्बा (हि.प्र.)

परिशिष्ट "5" पैरा संख्या 7.3 में सन्दर्भित

)1) सम्म्पति क-(गृहकर)--------:

वर्ष	गत शेष	कुल परिवार	दर	वर्ष के दौरान मांग	कुल मांग	कुल प्राप्त राशी	बकाया राशी
2021-22	38270	370	25/-	9250	47520	0	47520
2022-23	47520	370	25/-	9250	56770	26000	30770

(2) पंचायत दुकाने -------: (2021-22)

क्रमांक	दुकान दार का नाम व् पता	दुकान संख्या	मासिक किराया	गत शेष	वर्ष 2021-22 की मांग	कुल मांग	वर्ष में वसूल राशी	शेष बकाया राशी
1	श्री रमेश कुमार	1	200/500	0.00	3600.00	3600.00	0.00	3600.00
2	श्री अमी चन्द	2	200/500	600.00	3600.00	4200.00	2200.00	2000.00
3	श्री तिलक राज	3	200/500	11800	3600	15400	7000	8400
4	श्री दुनी चन्द	4	200/500	2400	3600	6000	4000	2000
5	श्री चुहड़ू राम	5	200/500	600	3600	4200	0	4200
6	श्रीमती दिलो देवी	6	500	4000	6000	10000	0	10000
7	श्री ईश्वर चन्द	7	200/500	600	3600	4200	2200	2000
8	श्री विक्रम कुमार	8	500	0	6000	6000	4500	1500
9	श्री जय कुमार	9	200/500	600	3600	4200	0	4200
10	श्रीमति सुरमी देवी	10	200/500	5800	3600	9400	0	9400
		योग		**26400**	**40800**	**67200**	**19900**	**47300**

पंचायत दुकाने -----------: (2022-23)

क्रमांक	दूकान दार का नाम व् पता	दूकान संख्या	मासिक किराया	गत शेष	वर्ष 2021-22 की मांग	कुल मांग	वर्ष में वसूल राशी	शेष वकाया राशी
1	श्री रमेश कुमार	1	500.00	3600.00	6000	9600	5100	4500
2	श्री अमी चन्द	2	500.00	2000.00	6000	8000	8000	0
3	श्री तिलक राज	3	500.00	8400	6000	14400	14400	0
4	श्री दुनी चन्द	4	500.00	2000	6000	8000	8000	0
5	श्री चुहड़ू राम	5	500.00	4200	6000	10200	10200	0
6	श्रीमती दिलो देवी	6	500.00	10000	6000	16000	11000	5000
7	श्री ईश्वर चन्द	7	500.00	2000	6000	8000	3500	4500
8	श्री विक्रम कुमार	8	500.00	1500	6000	7500	4500	3000
9	श्री जय कुमार	9	500.00	4200	6000	10200	10200	0
10	श्रीमति सुरमी देवी	10	500.00	9400	6000	15400	10900	4500
		योग		**47300**	**60000**	**107300**	**85800**	**21500**

नोट :- दुकान संख्या 6 व 8 का किराया शुरू से ही 500 है और बाकी दुकानो का किराया दिनांक 01/12/2021 से 500 रूपये किया गया | ग्राम सभा बैठक दिनांक15/11/2021 प्रस्ताव संख्या –13 अनुसार किराया बढाया गया |